कार्यालय मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद।

पत्रांक :- 4976 /46एम0-मु0क्षे0/13 दिनांक :- 01/8/15

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0,
बिजनौर (मु0-नजीबाबाद)

विषय :- जनपद बिजनौर में ग्राम अजीमुल्लानगर, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर के खसरा/गाटा नं0-449(पार्ट) में पट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) स्थापित करने हेतु मैसर्स इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0, मुरादाबाद को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर का पत्रांक-2169/1काम(बी)-रा0वृत्त/15 दिनांक-25.07.2015

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भगत पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। विषयगत प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर के पत्रांक-2169/1काम(बी0)-रा0वृत/15 दिनांक 25-07-15 संस्तुति एवं शर्तों के तारतम्य में ग्राम अजीमुल्लानगर, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर के खसरा/गाटा नं0-449(पार्ट) पर प्रस्तावित पैट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) स्थापित करने हेतु मैसर्स इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0, मुरादाबाद को निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है :-

1- प्रस्तावित निर्माण कार्य संलग्न अनुमोदित प्लान के अनुसार ही कराना होगा।
2- निर्माण कार्य अनुमति प्राप्त होने के एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कराना आवश्यक होगा।
3- भू-स्वामित्व के आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4- शासनादेश अनुसार लाईसेंस फीस रू0-2.00 लाख एवं प्रोसेसिंग फीस रू0-10.00 हजार कुल रू0-2.10 हजार (रूपया दो लाख दस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, नजीबाबाद के खाते में जमा कराना सुनिश्चित करें।
5- प्रस्तावित निर्माण यदि विनियमित क्षेत्र, नगर पालिका/टाउन एरिया की सीमा में आता है तो निर्माण से पूर्व उनसे भी अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
6- प्रस्तावित निर्माण स्थल के सामने पुलिया एवं पहुँच मार्ग आवेदक को स्वयं के व्यय पर निर्माण कराना आवश्यक होगा एवं विधिवत् अनुबन्ध कराना भी आवश्यक होगा।
7- भविष्य में यदि कोई प्रस्ताव मार्ग के चौड़ीकरण का आता है तो नियमानुसार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए आवेदक सहमत होंगे।
8- प्रस्तावित निर्माण से सड़क यातायात में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा।
9- उपरोक्त प्लान के अनुसार निर्माण न करने अथवा उपरोक्त किसी भी शर्तो का उल्लघंन किये जाने पर प्रदत्त स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

अतः उपरोक्त प्रकरण अपने स्तर से जिलाधिकारी, बिजनौर को भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : 1-साईट प्लान-1
2-अधी0अभि0, रा0वृत का पत्र सं0-2169/
1काम(बी0)-रा0वृत/15 दिनांक 25-07-15
(छायाप्रति संलग्न)

(ए0के0 भाटिया)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि-अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर को उनके उपरोक्त पत्र दिनांक 25-07-15 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।